

[2023] 1 एस. सी. आर 293 ए

क.

देउड़ी बोहरा समुदाय और ए. एन. आर. का केंद्रीय बोर्ड।

वी.

महाराष्ट्र राज्य और ए. एन. आर. (1986 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 740) 10 फरवरी, 2023

[संजय किशन कौल, संजीव खन्ना, अभय एस. ओका, विक्रम नाथ और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

ग

बॉम्बे प्रोटेक्शन ऑफ़ एक्स-कम्युनिकेशन एक्ट, 1949-अधिनियम, 1949 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी समुदाय के सदस्य का बहिष्कार अमान्य होगा और इसका कोई प्रभाव नहीं होगा-दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख ने इस आधार पर अधिनियम को चुनौती दी कि यह यू/आर्ट्स की गारंटी वाले मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।²⁵ और संविधान की धारा 26-सरदार सैयदना के मामले में उच्चतम न्यायालय (पांच न्यायाधीशों की) की एक संविधान पीठ ने बहुमत से यह अभिनिर्धारित किया कि दाउदी बोहरों के बीच पूर्व संचार समुदाय के प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है और इसलिए, पूर्व संचार के अधिकार में हस्तक्षेप धर्म के मामलों में समुदाय के अपने मामलों को प्रबंधित करने के अधिकार में हस्तक्षेप के बराबर है-सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि पूर्व संचार अधिनियम धार्मिक आधारों सहित किसी भी आधार पर बहिष्कार को अमान्य करता है, इसलिए इसे संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) के तहत दाउद बोहरा समुदाय के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन माना जाना चाहिए-उस निर्णय पर पुनर्विचार और अतिनिर्णय की मांग करने वाली वर्तमान रिट याचिका Art.26 (b) के तहत अधिकारों को भाग III के तहत अन्य अधिकारों के साथ संतुलित करने का अभ्यास और विशेष रूप से Art.21 द्वारा नहीं किया गया था।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

293

294 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

सरदार सैयदना के मामले में संविधान पीठ-यह सवाल काफी हद तक सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जेजे में नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मुद्दा है-इसके अलावा, यह सवाल कि क्या पूर्व-संचार की प्रथा को संरक्षण दिया जा सकता है, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की कसौटी पर भी परीक्षण किया जाना चाहिए क्योंकि उक्त अधिकार नैतिकता के अधीन है-इस प्रकार, ये दो मुख्य आधार हैं जिन पर उक्त निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है-नौ न्यायाधीशों की पीठ (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जेजे) ने कानून के सात प्रश्न तैयार किए, जिनमें से प्रश्न 3 और 4 भी वर्तमान रिट याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होते हैं-प्रस्तुत रिट याचिका, इस प्रकार, विचार के योग्य हैं।²⁵ और 26-महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार से लोगों का संरक्षण (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2016। भारत का संविधान-संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या-अपनाया जाने वाला दृष्टिकोण-आयोजित:संविधान एक जीवंत साधन है-दशकों पहले संविधान के प्रावधानों के लिए दी गई मौलिक व्याख्या, आने वाले सभी समय के लिए मान्य नहीं रह सकती है यदि संविधान को निरंतर प्रासंगिकता के साथ एक जीवित साधन के रूप में जारी रखना है-कानून की व्याख्या को समाज की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल रखना चाहिए।

ग

डी.

ई.

भारत का संविधान-कला।25 और 26-कला के संदर्भ में नैतिकता।25 और 26-चर्चा की गई।

च

निर्देश पारित करते समय, न्यायालय ने

पकड़ना:क्या रिट याचिका विचार के लिए जीवित रहती है:

1.1. सरदार सैयदना के मामले में संविधान पीठ ने बहुमत से निर्णय दिया कि बॉम्बे प्रोटेक्ट ऑफ़ एक्स-कम्युनिकेशन एक्ट, **1949** संविधान के अनुच्छेद **26 (बी)** का उल्लंघन करने के कारण अमान्य था।हालांकि, पूर्व-संचार अधिनियम की धारा **2 (ए)** के तहत 'समुदाय' की परिभाषा पर विचार करते हुए, इसकी प्रयोज्यता केवल दाउदी ए तक ही सीमित नहीं थी

जी.

एच.

295

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

बोहरा समुदाय।एक्स-कम्युनिकेशन एक्ट के प्रावधान विभिन्न धर्मों, जातियों या उप-जातियों में प्रचलित एक्स-कम्युनिकेशन की प्रथा पर लागू थे, जबकि बहुमत के विचार से दिए गए निष्कर्ष केवल दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख के समुदाय के किसी सदस्य को एक्स-कम्युनिकेट करने के अधिकार के संबंध में हैं।इस प्रकार, पूर्व-संचार अधिनियम को पूरी तरह से अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था।इसलिए, यह मानते हुए भी कि संविधान पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, सवाल जो निश्चित रूप से विचार के लिए जीवित है वह यह है कि क्या अन्य धर्मों, जातियों या उप-जातियों में प्रचलित बहिष्कार की प्रथा संवैधानिक रूप से मान्य है।[पैरा **19**] **[307-ई-एच]** **1.2**।भले ही पूर्व-संचार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया हो, लेकिन यह मुद्दा बना हुआ है कि क्या दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख की अपने सदस्यों को पूर्व-संचारित करने की शक्ति अनुच्छेद **26** के खंड **(बी)** की छत्रछाया में संरक्षित होने के कारण गैर-न्यायसंगत है।इस मुद्दे की वर्तमान संदर्भ में जांच की आवश्यकता है।[पैरा **20**] **[307-एच; 308-ए]**

ग

डी.

अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण:

2. संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय यह याद रखना चाहिए कि संविधान एक जीवंत साधन है।दशकों पहले संविधान के प्रावधानों को दी गई मौलिक व्याख्या आने वाले सभी समय के लिए मान्य नहीं रह सकती है यदि संविधान को निरंतर प्रासंगिकता के साथ एक जीवित साधन के रूप में जारी रखना है।पिछले कुछ दशकों के दौरान संवैधानिक कानून का बहुत विकास हुआ है।स्वतंत्रता की अवधारणा में बदलाव आया है और **21** वीं सदी में समाज पिछली सदी की तुलना में पूरी तरह से अलग दिखता है।इस प्रकार, कानून की व्याख्या को समाज की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।[पैरा **21** और **23**] **[308-बी-सी, एफ-जी; 310-ए-बी]**

ई.

च

जी.

अनुच्छेद 25 और 26 के संदर्भ में नैतिकता:

3. अनुच्छेद 25 के खंड (1) के तहत विवेक की स्वतंत्रता की गारंटी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है। अनुच्छेद 26 के सभी चार खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) भी बनाए गए हैं।

एच.

296 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

विशेष रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन। इस प्रकार, धार्मिक संप्रदाय का धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार हमेशा नैतिकता के अधीन होता है। जहाँ तक अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा विचार की गई नैतिकता की अवधारणा का संबंध है, सरदार सैयदना के मामले में निर्णय के बाद बहुत पानी बह गया है, जहाँ इस तर्क पर कि अनुच्छेद 26 (बी) नैतिकता के अधीन है, बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था क्योंकि सुनवाई के समय इसका प्रचार और दबाव नहीं डाला गया था। इस प्रकार, इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संवैधानिक नैतिकता को समानता, बंधुत्व और गैर-भेदभाव के साथ जोड़ा जा सकता है। [पैरा 24] [310-बी-ई]

ग

निष्कर्ष:

4.1. अनुच्छेद 26 (बी) के तहत अधिकारों को भाग III और विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत अन्य अधिकारों के साथ संतुलित करने का प्रयोग सरदार सैयदना के मामले में संविधान पीठ द्वारा नहीं किया गया था। यह प्रश्न सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जे. जे. में नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष काफी हद तक मुद्दा है। इसके अलावा, यह सवाल कि क्या अनुच्छेद 26 (बी) द्वारा बहिष्कार के अभ्यास को संरक्षण दिया जा सकता है, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की कसौटी पर भी परखा जाना चाहिए क्योंकि उक्त अधिकार नैतिकता के अधीन है और यह एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ मुद्दा है। इस प्रकार, इन प्रश्नों को करने के लिए, दो मुख्य आधार हैं जिन पर उक्त निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। [पैरा 32] [325-ए-सी]

डी.

ई.

4.2. सबरीमाला मंदिर-5 जेजे के फैसले की समीक्षा की गई थी। इस न्यायालय ने समीक्षा (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-5 जेजे) पर विचार किया। बहुमत की राय में प्रश्न होते हैं जो इसे एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए तैयार किए जाते हैं। तदनुसार, समीक्षा याचिका को नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। नौ न्यायाधीशों की पीठ (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जे. जे.) ने कानून के सात प्रश्न तैयार किए, जिनमें से प्रश्न 3 और 4 भी वर्तमान रिट याचिका में विचार के लिए उत्पन्न होते हैं। नौ न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। इन परिस्थितियों में, वर्तमान रिट याचिका को समीक्षा ए के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

च

जी.

एच.

297

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

नौ माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित **2018** की याचिका (सिविल) **No.3358**।तदनुसार, रजिस्ट्री को माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में उचित निर्देश लेने का निर्देश दिया जाता है।[पैरा **33,34** और **35**] **[315-सी-डी, जी; 316-बी-सी]**

नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनामभारत संघ **2018 (10)**

एससीसी **1:[2018] 7** एस. सी. आर. **379**-अनुसरण किया गया।

के. एस. पुट्टास्वामी और अन्न बनामभारत संघ और अन्य। **2017**

(10) एससीसी **1:[2017] 10** एस. सी. आर. **569**; केंद्रीय अंतर्देशीय जल

परिवहन निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनामब्रोजो नाथ

ग

गांगुली और एन. आर. **1986 (3)** एससीसी **156:[1986] 2** एस. सी. आर. **278**-पर निर्भर।

सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम राज्य

बॉम्बे **[1962]** पूरक।**2** एससीआर **496**; मनोज नरुला बनाम भारत संघ **2014 (9)** एससीसी **1:[2014] 9** एससीआर **965**;

डी.

राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ और अन्न. **2018 (8)**

एससीसी **501:[2018] 7** एस. सी. आर. **1**; भारतीय युवा वकील

एसोसिएशन एंड ओआरएस. वी.केरल राज्य और अन्य। **2019 (11)** एससीसी **1:[2018] 9** एस. सी. आर. **561**;
कांतारु राजीवरु बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। (सबरीमाला मंदिर)

ई.

समीक्षा-5 जेजे.) **2020 (2)** एससीसी **1:[2019] 17** एससीआर **599**;

कांतारु राजीवरु (धर्म का अधिकार; **9** जे. जे.) बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-**9** जेजे) **2020 (3)** एससीसी **52** और आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामीयर

च

[1954] एस. सी. आर. **1005**-संदर्भित।

हसनाली और ओआरएस. वी.मंसूराली और ओआरएस। **1947** एस. सी. सी.

ऑनलाइन पी. सी. **63**-संदर्भित।निर्णीत विधि संदर्भ

जी.

[1962] पूरक।**2** पैरा **1 [2014] 9** एस. सी. आर. **965** को संदर्भित एस. सी. आर. **496** पैरा **7** को संदर्भित

एच.

298 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट **[2023] 1** एस. सी. आर.

[2018] 7 एससीआर 1

संदर्भित किया गया है

पैरा 7

[2018] 7 एससीआर 379

पीछा किया।

पैरा 7 [2018] 9 पैरा 7 [2019] 17 एससीआर 599 पैरा 11 2020 (3) एससीसी 52 को संदर्भित एससीआर 561

संदर्भित किया गया है

पैरा 11

[1954] एससीआर 1005

संदर्भित किया गया है

पैरा 13

[2017] 10 एससीआर 569

पर भरोसा किया

पैरा 21

ग

[1986] 2 एससीआर 278

पर भरोसा किया

पैरा 22

सिविल मूल अधिकारिता 1986 की लिखित याचिका (सिविल) सं. 740।

डी.

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

1991 की आपराधिक अपील सं. 39

सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता, संकल्प गोस्वामी, अजहर आलम, सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, श्रीमती माणिक करंजावाला, सुश्री नंदिनी गोरे, जतिन मोंगिया, सुश्री ताहिरा करंजावाला, सुश्री निहारिका करंजावाला, अर्जुन शर्मा, सुश्री नेहा खंडेलवाल, सार्थक गौर, करणवीर सिंह आनंद, ऋत्विक् महापात्रा, सुश्री प्रचेता कर, आदित्य सिधरा, नदीम अफरोज, एम/एस करंजावाला एंड कंपनी के लिए वर्धन वांचू, अधिवक्ता। याचिकाकर्ताओं के लिए।

ई.

च

तुषार मेहता, एस. जी., फली एस. नरीमन, दरियस खंबाटा, प्रवीण एच. पारेख, डी. जे. खंबाटा, पराग त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सिद्धार्थ धर्माधिकारी, कानू अग्रवाल, आदित्य अनिरुद्ध पांडे, समीर पारेख, सुभाष शर्मा, अबीजर फैजुल्लाभाय, डी. पी. मोहंती, मुर्तजा कचवाला, सुश्री सोनल गुप्ता, एम. अल्गौस शेख, प्रतीक खंडेलवाल, सुश्री मंजू बजाज, सुश्री प्रेरणा अमिताभ, मुस्तफा मैमून, एम/एस. पारेख एंड कंपनी के लिए अम्मार फैजुल्लाभाय, संदीप नारायण, मोइनुद्दीन अल्गौस शेख, एम/एस. नारायण एंड कंपनी के लिए सुश्री कनक मलिक, सुश्री दीपानविता प्रियंका, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

जी.

एच.

299

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य ए

क.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

अभय एस. ओका, जे. फैक्टुअल एस्पेक्ट्स

1. 1986 की रिट याचिका (सी) No.740 में प्रारंभिक मुद्दा यह है कि क्या इस न्यायालय की संविधान पीठ ने

सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब बनाम बॉम्बे राज्य का मामला **1**,

पुनर्विचार की आवश्यकता है।2. सरदार सैयदना **1** के मामले में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बॉम्बे प्रोटेक्शन ऑफ़ एक्स-कम्युनिकेशन एक्ट, 1949 (संक्षेप में, 'एक्स-कम्युनिकेशन एक्ट') की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए लागू किया गया था।पूर्व-संचार अधिनियम की धारा 3 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी कानून, प्रथा या उपयोग में कुछ भी निहित होने के बावजूद, किसी भी समुदाय के सदस्य का कोई भी पूर्व-संचार वैध नहीं होगा और किसी भी प्रभाव का होगा।पूर्व-संचार अधिनियम के तहत, 'समुदाय' शब्द को एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसके सदस्य इस तथ्य के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं कि जन्म, धर्मांतरण या किसी भी धार्मिक संस्कार के प्रदर्शन से, वे एक ही धर्म या धार्मिक पंथ से संबंधित हैं और इसमें जाति या उप-जाति शामिल है।पूर्व-संचार अधिनियम की धारा 2 के खंड (बी) के तहत, 'पूर्व-संचार' को किसी भी समुदाय से किसी व्यक्ति के निष्कासन के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसका वह सदस्य है, जो उसे उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करता है जो उसके द्वारा या उसकी ओर से ऐसे सदस्य के रूप में नागरिक प्रकृति के मुकदमे द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय हैं।

ग

डी.

ई.

3. सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब, जो 51 वें दाई-अल-मुतलक और दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख थे, ने पूर्व-संचार अधिनियम को इस आधार पर चुनौती दी कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।उक्त याचिका को संविधान पीठ के समक्ष रखा गया था।संविधान पीठ ने बहुमत से कहा कि दाउदी बोहराओं के बीच पूर्व-संवाद समुदाय के प्रबंधन का एक अभिन्न अंग है।इसलिए, बहिष्कार के अधिकार में हस्तक्षेप धर्म के मामलों में अपने मामलों को प्रबंधित करने के समुदाय के अधिकार में हस्तक्षेप के बराबर है।इस न्यायालय ने कहा कि चूंकि पूर्व-संचार अधिनियम धार्मिक आधारों सहित किसी भी आधार पर पूर्व-संचार को अमान्य करता है, इसलिए इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) के तहत गारंटीकृत दाउदी बोहरा समुदाय के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन माना जाना चाहिए।इसलिए, यह न्यायालय आगे बढ़ा

च

जी.

एच.

300

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

यह अभिनिर्धारित करना कि पूर्व-संचार अधिनियम अमान्य है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है।

4. दाउदी बोहरा समुदाय के केंद्रीय बोर्ड द्वारा दायर वर्तमान रिट याचिका में अनुरोध है कि राज्य सरकार को सरदार सैयदना 1 के मामले में इस अदालत के फैसले पर पुनर्विचार करने के बाद पूर्व-संचार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश देने के लिए एक आदेश पत्र जारी किया जाए। "याचिका में नियम "निसी" 25 अगस्त 1986 को जारी किया गया था। 18 मार्च 1994 को एक खंड पीठ ने निर्देश दिया कि याचिका को सात न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाए। दूसरे प्रतिवादी-सैयदना मुफद्दल (53 वें दाई-अल-मुतलक) ने एक आवेदन देकर निर्देश देने की मांग की कि याचिका को एक खंड पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। रिट याचिका को संविधान पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 17 दिसंबर 2004 2 के निर्णय और आदेश द्वारा, संविधान पीठ ने दूसरे प्रतिवादी द्वारा दायर आवेदन को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। उक्त आदेश का अनुच्छेद 14 इस प्रकार है: "14. इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हम संतुष्ट हैं कि मामले को सुनवाई के लिए संविधान पीठ (पांच न्यायाधीशों की) के समक्ष रखा जाना चाहिए, न कि सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ के समक्ष। यह तभी होता है जब संविधान पीठ को शुद्धता पर संदेह हो।

ग

डी.

सरदार सैयदना ताहिर सैफुद्दीन साहब में निर्धारित कानून

मामला [1962 सप्लीमेंट (2) एससीआर 496:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 853] कि वह सात न्यायाधीशों वाली एक बड़ी पीठ द्वारा सुनवाई के पक्ष में राय दे सकता है या ऐसी अन्य शक्ति जो भारत का मुख्य न्यायाधीश एक रोस्टर तैयार करने की अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए गठित करना उचित समझे। "5. उपरोक्त आदेश के संदर्भ में, संबंधित आपराधिक अपील के साथ रिट याचिका इस पीठ के समक्ष रखी गई है। इस बीच, महाराष्ट्र सामाजिक बहिष्कार (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2016 (संक्षेप में, 'सामाजिक बहिष्कार अधिनियम') के अधिनियमन के रूप में एक बाद की घटना हुई। सामाजिक बहिष्कार अधिनियम की धारा 20 के खंड (सी) द्वारा, पूर्व-संचार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया था।

ई.

च

ध्यान देने के लिए मस्तिष्क प्रश्न

जी.

6. जैसा कि पूर्व-संचार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है, विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या योग्यता पर निर्णय के लिए रिट याचिका में कुछ बचा है। अगर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि

1 (1962) पूरक। (2) एससीआर 496:ए. आई. आर. 1962 एस. सी. 853 2 2005 (2) एस. सी. सी. 673 ए

एच.

301

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

रिट याचिका अभी भी विचार के लिए बनी हुई है, जो सवाल उठेगा

क्या सरदार सैयदना **1** के मामले में यह आवश्यक है

पुनर्विचार।

प्रस्तुतियाँ

7. हमने उपरोक्त प्रश्नों पर पक्षों को सुना है। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ भटनागर ने बताया कि संविधान पीठ ने माना है कि दाउदी बोहरा समुदाय में बारात/पूर्व-संचार की प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के खंड (बी) के तहत "धर्म के मामलों" के दायरे में आती है। उन्होंने आग्रह किया कि भले ही पूर्व-संचार अधिनियम को निरस्त कर दिया जाता है, इस सवाल पर निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या पूर्व-संचार की प्रथा "धर्म के मामलों" के दायरे में आती है। उनका निवेदन है कि दूसरा प्रतिवादी-सैयदना मुफद्दल (53 वां दाई-अल-मुतलक) न केवल धार्मिक प्रमुख है, बल्कि सामुदायिक संपत्ति का न्यासी भी है। इसलिए, उसे ऐसे कार्य करने होते हैं जो पूरी तरह से धार्मिक नहीं होते हैं। उनका निवेदन है कि यह मानते हुए भी कि बहिष्कार की प्रथा को धर्म का मामला माना जाता है, इसे सामाजिक सुधारों पर कानूनों के अनुरूप होना चाहिए जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 (2) द्वारा संरक्षित हैं। उन्होंने आग्रह किया कि अनुच्छेद 26 के तहत गारंटीकृत अधिकार नैतिकता के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत नैतिकता की अवधारणा अपने भीतर संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को समाहित कर लेगी। उन्होंने निर्णयों पर भरोसा किया

ग

डी.

ई.

मनोज नरुला बनाम भारत संघ **3**, राज्य (एन. सी. टी. दिल्ली) बनाम भारत संघ और ए. एन. आर. के मामलों में इस न्यायालय का। **4** और नवतेज सिंह जौहर

& ओआरएस. वी. भारत संघ **5** और प्रस्तुत किया कि इन निर्णयों के तहत संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को विस्तृत किया गया है। उन्होंने भारतीय युवा वकीलों के मामले में इस न्यायालय के एक फैसले को भी सेवा में लगाया।

च

एसोसिएशन एंड ओआरएस. वी. केरल राज्य और अन्य। **6** (सबरीमाला मंदिर)

5 जे. जे.), जो उनके अनुसार मानता है कि स्वतंत्रता के लिए विनाशकारी प्रथाएं और जो कुछ नागरिकों को दूसरों की तुलना में कम समान बनाते हैं, उन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वह यह भी प्रस्तुत करेंगे कि अनुच्छेद 26 भारत के संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के तहत दी गई सुरक्षा को ओवरराइड नहीं कर सकता है। उनका कहना है कि दाउदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा अनुच्छेद 17, 19 (1) (ए), 19 (1) (सी) का उल्लंघन है।

जी.

3 2014 (9) एससीसी 1 4 2018 (8) एससीसी 501 5 2018 (10) एससीसी 1 6 2019 (11) एससीसी 1

एच.

302

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

और 19 (1) (छ), 21 और 25 और इसलिए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के संरक्षण का आनंद नहीं ले सकता है।

8. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी आग्रह किया कि सामाजिक बहिष्कार अधिनियम पूर्व संचार के खिलाफ कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है क्योंकि यह समुदाय की खाप पंचायत द्वारा समुदाय के किसी सदस्य के सामाजिक बहिष्कार को प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि दाउदी बोहरा समुदाय का एक सदस्य जो पहले से ही पूर्व-संचारित है, सामाजिक बहिष्कार अधिनियम के अर्थ के भीतर समुदाय का सदस्य नहीं होगा। इसलिए, सामाजिक बहिष्कार अधिनियम दाउदी बोहरा समुदाय के सदस्यों को पूर्व-संचार की अन्यायपूर्ण और अवैध प्रथा से कोई सुरक्षा नहीं देता है।

ग

9. उन्होंने आग्रह किया कि जैसा कि सबरीमाला मंदिर 5 जेजे 6 के मामले में कहा गया है, अनुच्छेद 26 में पाया गया 'नैतिकता' शब्द अपने भीतर संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा को समाहित कर लेगा और न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों से रंग लेगा, जिस पर हमारा संविधान स्थापित किया गया है। उन्होंने आग्रह किया कि बारात की प्रथा प्रतिगामी है, जिसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक रूप से बहिष्कृत व्यक्ति की नागरिक मृत्यु हो जाती है। इसलिए, बारात की प्रथा को संवैधानिक नैतिकता के विपरीत मानना होगा।

डी.

10. उन्होंने आग्रह किया कि इस मुद्दे की भी जांच की जानी चाहिए कि क्या अनुच्छेद 17 द्वारा दाउदी बोहरा समुदाय से संबंधित एक पूर्व-संचारी व्यक्ति को कोई सुरक्षा प्रदान की गई है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अनुच्छेद 26 को स्पष्ट रूप से भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन नहीं किया गया है, लेकिन अनुच्छेद 14, 19 और 21 के साथ इसके टकराव की स्थिति में, इसे इन तीन अनुच्छेदों को तब तक छोड़ देना चाहिए जब तक कि संघर्ष का मिलान नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 26 के तहत एक धार्मिक संप्रदाय के अधिकारों को अलग से निर्धारित नहीं किया जा सकता है और इस तरह से व्याख्या नहीं की जा सकती है जो भाग III के अन्य प्रावधानों के तहत अपने सदस्यों को गारंटीकृत अधिकारों को प्रदान करता है। उन्होंने आग्रह किया कि सरदार सैयदना 1 के बाद बहुत पानी बह गया है और इसलिए, इस पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।

ई.

च

11. राज्य सरकार की ओर से पेश हुए भारत के विद्वान सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता ने कहा कि भले ही पूर्व-संचार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया हो, यह सवाल कि क्या बारात/पूर्व-संचार की प्रथा भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) द्वारा संरक्षित है, विचार के लिए जीवित है। उन्होंने कांतारू राजीवरु बनाम के मामले में इस न्यायालय के आदेश की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया।

जी.

इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन और अन्य। 7 (सबरीमाला मंदिर)

7 2020 (2) एससीसी 1 ए

एच.

303

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

समीक्षा-5 जेजे।) उन्होंने प्रस्तुत किया कि संविधान पीठ ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत धार्मिक स्वतंत्रता के लिए कम से कम सात माननीय न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा आधिकारिक घोषणा की आवश्यकता है।

उन्होंने उक्त आदेश के तहत तैयार किए गए प्रश्नों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि उक्त आदेश के आधार पर, कांतारू राजीवरु में नौ न्यायाधीशों की एक पीठ

(धर्म का अधिकार; 9 जे. जे.) बनाम भारतीय युवा वकील संघ और अन्य। 8 (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जेजे), तैयार किया गया है

सात मुद्दे और कम से कम, उक्त पीठ द्वारा बनाए गए पहले तीन मुद्दे वर्तमान मामले में भी उठेंगे। इसलिए, उन्होंने आग्रह किया कि इस याचिका को माननीय नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष मामले के साथ जोड़ा जाए। 12. द्वितीय प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री फली एस. नरीमन ने आग्रह किया कि पूर्व-संचार अधिनियम के निरसन को देखते हुए, याचिका में की गई प्रार्थनाओं पर विचार करते हुए याचिका में कुछ भी नहीं बचा है। उन्होंने इस तथ्य की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित किया कि दूसरे याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई है और पहले याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं है जो एक अपंजीकृत संगठन है।

ग

डी.

13. उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरदार सैयदना 1 के मामले में निर्णय (सबरीमाला मंदिर 5 जेजे) 6 के मामले में संविधान पीठ द्वारा नोट किया गया था। उन्होंने इसके सात न्यायाधीशों की पीठ के फैसले पर भरोसा किया।

आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री शिरूर मठ के श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी के मामले में न्यायालय 9.

ई.

उन्होंने प्रस्तुत किया कि अनुच्छेद 26 की व्याख्या का मुद्दा समाप्त हो गया है। अंत में उन्होंने कहा कि इस मामले को माननीय नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित समीक्षा के साथ नहीं जोड़ा जाना चाहिए और उच्चतम स्तर पर, इसे उक्त मामले के निपटारे तक लंबित रखा जा सकता है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री डारियाउस जे. खंबाटा ने श्री फली एस. नरीमन द्वारा दिए गए निवेदनों का समर्थन करते हुए कहा कि सरदार सैयदना 1 के मामले में निर्णय समय की कसौटी पर खरा उतरा है और किसी भी पीठ द्वारा इसके विपरीत कोई विचार नहीं लिया गया है। इसलिए, इस याचिका में आगे कोई आदेश की आवश्यकता नहीं है।

च

संबंधित प्रावधान

जी.

15. प्रस्तुतियों से निपटने से पहले, पूर्व-संचार अधिनियम का एक संक्षिप्त संदर्भ आवश्यक है। इसकी धारा 2 और 3 सामग्री हैं, जो इस प्रकार हैं:

8 2020 (3) एससीसी 52 9 1954 एससीआर 1005

एच.

304

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

“2. इस अधिनियम में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी अप्रिय न हो, -

(क) "समुदाय" से ऐसा समूह अभिप्रेत है जिसके सदस्य इस तथ्य के कारण एक साथ जुड़े हुए हैं कि जन्म, धर्मांतरण या किसी धार्मिक संस्कार के प्रदर्शन से वे एक ही धर्म या धार्मिक पंथ से संबंधित हैं और इसमें एक जाति या उप-जाति शामिल है; (ख) "बहिष्कार" का अर्थ है किसी व्यक्ति का किसी ऐसे समुदाय से निष्कासन, जिसका वह सदस्य है, जो उसे उन अधिकारों और विशेषाधिकारों से वंचित करता है जो उसके द्वारा या उसकी ओर से ऐसे सदस्य के रूप में नागरिक प्रकृति के मुकदमे द्वारा कानूनी रूप से लागू किए जा सकते हैं।

ग

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए नागरिक प्रकृति के मुकदमे द्वारा कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार में पद या संपत्ति का अधिकार या किसी धार्मिक स्थान पर पूजा करने का अधिकार या दफन या दाह संस्कार का अधिकार शामिल होगा, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसे अधिकारों का निर्धारण पूरी तरह से किसी भी धार्मिक संस्कार या समारोह या किसी समुदाय के नियम या उपयोग के बारे में प्रश्न के निर्णय पर निर्भर करता है।³. तत्काल लागू किसी भी कानून, प्रथा या उपयोग में कुछ भी निहित होने के बावजूद, इसके विपरीत, किसी भी समुदाय के सदस्य का कोई भी बहिष्कार वैध नहीं होगा और किसी भी प्रभाव का होगा।"

डी.

ई.

पूर्व-संचार अधिनियम को सामाजिक बहिष्कार अधिनियम द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इस स्तर पर, हमारे लिए दाउदी बोहरा समुदाय में प्रचलित पूर्व-संचार या "बारात" के अभ्यास पर सामाजिक बहिष्कार अधिनियम के प्रभाव के सवाल में जाना आवश्यक नहीं है।

च

सरदार सैयदना में दर्ज किए गए परिणाम

16. अब, हम सरदार सैयदना 1 के मामले में संविधान पीठ द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों का विज्ञापन करते हैं। उक्त निर्णय में के. सी. दास गुप्ता, जे. अपने लिए और जे. आर. मुधोलकर, जे. एन. राजागोपाला अय्यंगार, जे. और बी. पी. सिन्हा, सी. जे. हम यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि बी. पी. सिन्हा, सी. जे. ने एक असहमतिपूर्ण राय लिखी है। अन्य माननीय न्यायाधीशों का विचार था कि पूर्व संचार अधिनियम अमान्य था क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) के तहत गारंटीकृत अधिकारों का उल्लंघन करता है।

जी.

एच.

305

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

क.

दास गुप्ता, जे. ने निष्कर्ष निकाला कि:

(क) धार्मिक आधार पर बहिष्कार की शक्ति का प्रयोग अपने धार्मिक प्रमुख के माध्यम से समुदाय के प्रबंधन का एक हिस्सा है;

(बी) पूर्व-संचार अधिनियम अनुच्छेद 26 के खंड (बी) द्वारा दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख को धार्मिक आधार पर अपने सदस्यों को पूर्व-संचारित करने की स्वतंत्रता को छीन लेता है;

(ग) यद्यपि, यह सत्य है कि समुदाय के किसी सदस्य का बहिष्कार उसके कई नागरिक अधिकारों को प्रभावित करेगा, अनुच्छेद 26 के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त अधिकारों को अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं किया गया है। इसलिए, यह तथ्य कि

अनुच्छेद 26 के खंड (बी) के तहत अधिकारों के प्रयोग से किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार प्रभावित होते हैं, इसका कोई परिणाम नहीं है।

ग

डी.

(घ) विशुद्ध और सरल धार्मिक आधार पर बहिष्कार को सामाजिक कल्याण और सुधार को बढ़ावा देने के लिए नहीं माना जा सकता है। इसलिए, जो कानून धार्मिक आधार पर बहिष्कार को अमान्य करता है, उसे अनुच्छेद 25 के खंड (2) (बी) द्वारा समाज कल्याण और सुधार का उपाय नहीं माना जा सकता है; और

ई.

(ङ) यद्यपि राज्य सरकार द्वारा दाखिल जवाबी हलफनामे में इस तथ्य पर भरोसा किया गया था कि अनुच्छेद 26 (ख) नैतिकता के अधीन है, लेकिन उक्त तर्क को लागू नहीं किया गया था।

च

17. न्यायमूर्ति अय्यंगर ने अपनी विस्तृत राय में निष्कर्ष निकाला कि:

(क) यद्यपि, यह तर्क दिया गया था कि बहिष्कार को रोकने वाला कानून सामाजिक सुधार का एक उपाय है, लेकिन यह सुझाव नहीं दिया गया था कि बहिष्कार की प्रथा सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य या संविधान के किसी अन्य भाग को आहत करती है।

जी.

(बी) हालांकि, अनुच्छेद 26 (बी) के तहत अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के अधीन है, यह सुझाव नहीं दिया गया था कि

एच.

306

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

पूर्व-संचार का अभ्यास सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य को आहत करता है;

(ग) अनुच्छेद 26 के अर्थ के भीतर मूल्यवर्ग और मूल्यवर्ग के सदस्य मूल्यवर्ग की निरंतरता सुनिश्चित करने के हकदार हैं और ऐसी निरंतरता केवल धार्मिक अनुशासन के बंधन को बनाए रखने से ही संभव है जो इसके सदस्यों को विश्वास, सिद्धांतों और प्रथाओं जैसे कुछ आवश्यक नियमों का निरंतर पालन सुनिश्चित करेगा।

(घ) अनुच्छेद 25 के खंड (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार विवेक की स्वतंत्रता तक ही सीमित नहीं है क्योंकि इसमें धर्म का पालन करने का अधिकार भी शामिल है।

ग

(ङ) "सामाजिक कल्याण और सुधारों के लिए प्रावधान करने वाले कानून" वाक्यांश का उद्देश्य विधायिका को अस्तित्व या पहचान से बाहर किसी धर्म में सुधार करने में सक्षम बनाना नहीं था। अनुच्छेद 25 का खंड (2) (बी) किसी धर्म के पंथ की बुनियादी अनिवार्यताओं को शामिल नहीं करता है जो अनुच्छेद 25 के खंड (1) द्वारा संरक्षित हैं।

डी.

(च) समुदाय के संरक्षण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बहिष्कार की शक्ति का समूह के प्रत्येक सदस्य के धार्मिक जीवन में प्रमुख महत्व है; और

ई.

(छ) वह विधान जो समुदाय के संरक्षण के उद्देश्यों के लिए प्रयोग किए जाने पर भी बहिष्कार करने की शक्ति को दंडित करता है, अनुच्छेद 25 के खंड (1) के तहत गारंटीकृत अधिकार को उजागर किए बिना सामाजिक कल्याण या सुधार के उपाय के रूप में कायम नहीं रखा जा सकता है, जिससे संरक्षण भ्रामक हो जाता है।

च

18. अपनी असहमत राय में, बी. पी. सिन्हा, सी. जे. निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे:

जी.

(क) अनुच्छेद 26 के खंड (ख) में 'धर्म के मामले' और 'धार्मिक आचरण से जुड़ी गतिविधियाँ' की अभिव्यक्तियाँ बिल्कुल एक ही आधार को शामिल नहीं करती हैं। धार्मिक प्रथा से जुड़ी गतिविधियों के गंभीर प्रभाव हो सकते हैं, जैसे कि आर्थिक और वित्तीय;

एच.

307

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

(ख) अनुच्छेद 26 के खंड (ख) के तहत एक धार्मिक संप्रदाय को जो स्वायत्तता प्राप्त है, वह धर्म के मामलों में है। अनुच्छेद 26 स्वयं इंगित करता है कि एक धार्मिक संप्रदाय को न केवल धर्म के मामलों से निपटना पड़ता है, बल्कि धार्मिक समुदाय के स्वामित्व और स्वामित्व वाली संपत्ति के प्रबंधन जैसे अन्य मामलों से भी निपटना पड़ता है।

(ग) अनुच्छेद 26 के खंड (ख) के तहत धर्म के मामले न केवल सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हैं, बल्कि अनुच्छेद 25 के खंड (2) (ख) द्वारा अनुध्यात विधान के भी अधीन हैं। श्री शिरूर मठ 9 के मामले में, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 26 के खंड (बी) को अनुच्छेद 25 के खंड (2) (बी) के अधीन पढ़ा जाना चाहिए; और

ग

(घ) समुदाय के मुखिया में निहित बहिष्कार का अधिकार विशुद्ध रूप से धार्मिक मामला नहीं है। इसलिए, पूर्व-संचार अधिनियम वैध है क्योंकि यह अनुच्छेद 26 के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है।

डी.

एक साथ मध्यस्थता के लिए मूल याचिकाएँ

19. संविधान पीठ ने बहुमत से कहा कि पूर्व संचार अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) का उल्लंघन करने के कारण अमान्य था। हमें यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि पूर्व संचार अधिनियम की धारा 2 (ए) के तहत 'समुदाय' की परिभाषा पर विचार करते हुए, इसकी प्रयोज्यता केवल दाउदी बोहरा समुदाय तक ही सीमित नहीं थी। एक्स-कम्युनिकेशन एक्ट के प्रावधान विभिन्न धर्मों, जातियों या उप-जातियों में प्रचलित एक्स-कम्युनिकेशन के अभ्यास पर लागू थे। बहुसंख्यक दृष्टिकोण द्वारा प्रस्तुत निष्कर्ष केवल दाउदी बोहरा समुदाय के प्रमुख के समुदाय के किसी सदस्य को पूर्व-संचारित करने के अधिकार के संबंध में हैं। संविधान पीठ के प्रति सबसे बड़े सम्मान के साथ, केवल दाउदी बोहरा समुदाय के संबंध में अनुच्छेद 26 (बी) के उल्लंघन के संबंध में एक निष्कर्ष दर्ज करते हुए, पूर्व-संचार अधिनियम को पूरी तरह से अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, यह मानते हुए भी कि संविधान पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण सही है, सवाल जो निश्चित रूप से विचार के लिए जीवित है वह यह है कि क्या अन्य धर्मों, जातियों या उप-जातियों में प्रचलित बहिष्कार की प्रथा संवैधानिक रूप से मान्य है।

ई.

च

जी.

20. भले ही पूर्व-संचार अधिनियम को निरस्त कर दिया गया हो, लेकिन मुद्दा यह है कि दाऊद बोहरा के प्रमुख की शक्ति क्या है।

एच.

308

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने के लिए समुदाय को अनुच्छेद 26 के खंड (बी) के तहत संरक्षित किया जाना गैर-न्यायोचित है। इस मुद्दे की वर्तमान संदर्भ में जांच की आवश्यकता है। इसलिए, यह तर्क कि याचिका में गुण-दोष के आधार पर कुछ भी नहीं बचा है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अपनाया जाने वाला प्रस्ताव

21. संवैधानिक प्रावधानों की व्याख्या करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि संविधान एक जीवंत साधन है। के. एस. पुट्टास्वामी और ए. एन. आर. बनाम के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैरा 262 में भारत संघ और अन्य। 10, इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी की:

“262. इसलिए,

ग

यह संविधान के प्रारूपकों दोनों के लिए एक अन्याय होगा, जैसा कि उस दस्तावेज़ के बारे में है जिसे उन्होंने इसकी व्याख्या को मौलिक व्याख्या तक सीमित करने के लिए पवित्र किया था। आज की समस्याओं का निर्णय संवैधानिक सिद्धांत के जीवंत अनुप्रयोग द्वारा किया जाना चाहिए और एक मौलिक रूप से अलग समाज के लिए उपयुक्त दृष्टि से इसे रोका नहीं जा सकता है। हम.

डी.

संविधान को एक जीवित साधन के रूप में केवल इस कारण से वर्णित करें कि यह एक ऐसा दस्तावेज़ है जो भारतीय समाज के लिए शाश्वत मूल्यों का प्रतिपादन करता है, लेकिन इसमें इसकी निरंतर प्रासंगिकता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक लचीलापन है। इसकी निरंतर प्रासंगिकता सटीक रूप से आने वाली पीढ़ियों को उन सिद्धांतों को लागू करने की अनुमति देने की क्षमता में निहित है जिन पर इसे अपने समय की जटिल समस्याओं के लिए अभिनव समाधान खोजने के लिए स्थापित किया गया है। ऐसा करने में, हमें समान रूप से यह समझना चाहिए कि हमारे समाधानों को लगातार री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया से गुजरना चाहिए।”

ई.

च

(अगर संविधान को निरंतर प्रासंगिकता के साथ एक जीवित साधन के रूप में जारी रखना है तो दशकों पहले संविधान के प्रावधानों के लिए दी गई मौलिक व्याख्या आने वाले सभी समय के लिए मान्य नहीं रह सकती है।

जी.

22. के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के अनुच्छेद 26 में

केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड और ए. एन. आर. बनाम ब्रोजो नाथ गांगुली और अन्न। **11**, इस न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया।:

10 2017 (10) एससीसी 1

11 1986 (3) एससीसी 156 ए

एच.

309

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

“26. कानून उस समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए मौजूद है जो उसके द्वारा शासित है। यदि कानून को समाज की जरूरतों को पूरा करने की अपनी निर्धारित भूमिका निभानी है, तो उसे समाज के विचारों और विचारधाराओं को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

उस समाज को। इसे समाज के दिल की धड़कन और लोगों की जरूरतों और आकांक्षाओं के साथ समय बिताना चाहिए। जैसे-जैसे समाज बदलता है, कानून अपरिवर्तनीय नहीं रह सकता है। उन्नीसवीं शताब्दी के शुरुआती निबंधकार और बुद्धिमान, सिडनी स्मिथ ने कहा: “जब मैं किसी व्यक्ति को एक अपरिवर्तनीय कानून की बात करते सुनता हूं, तो मुझे विश्वास हो जाता है कि वह एक अपरिवर्तनीय मूर्ख है।” इसलिए, बदलते समाज में कानून को बदले हुए विचारों और विचारधाराओं के अनुरूप आगे बढ़ना चाहिए। हालाँकि, विधायिकाएँ समय की आवश्यकताओं के अनुसार कानून को अपनाने की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त नहीं हैं, क्योंकि विधायी प्रक्रिया बहुत धीमी है और विधानसभाएँ अक्सर राजनीति से विभाजित होती हैं, समय-समय पर होने वाले चुनावों से धीमी हो जाती हैं और असंख्य अन्य विधायी गतिविधियों से बोझिल हो जाती हैं। एक संवैधानिक दस्तावेज इस कार्य के लिए और भी कम उपयुक्त है, क्योंकि इसमें निहित दर्शन और विचारधाराओं को व्यापक और सामान्य शब्दों में व्यक्त किया जाना चाहिए और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बोझिल और समय लेने वाली है। इसलिए, यह कार्य अदालतों पर अनिवार्य रूप से पड़ना चाहिए क्योंकि अदालतें न्यायिक व्याख्या की प्रक्रिया द्वारा समाज की जरूरतों के अनुरूप कानून को अनुकूलित कर सकती हैं।”

ग

डी.

ई.

(i) ऊपर जो कहा गया है उसे ध्यान में रखते हुए, समाज की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए संविधान की व्याख्या करने के लिए संवैधानिक न्यायालयों की भूमिका महत्वपूर्ण है।

च

23. नवतेज सिंह जौहर 5 के मामले में संविधान पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि संविधानवाद को बदलने का सिद्धांत न्यायिक शाखा पर यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य भी रखता है कि संविधान के साथ-साथ कानून के अन्य प्रावधानों की व्याख्या और उन्हें लागू करके समाज में निरंतर परिवर्तन की भावना की शुरुआत की जाए। पिछले कुछ दशकों के दौरान संवैधानिक कानून का बहुत विकास हुआ है। इस न्यायालय द्वारा दशकों पहले किए गए संविधान के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या में भारी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, 'ए. के. गोपालन' युग में अनुच्छेद 21 को दी गई संकीर्ण व्याख्या अब नहीं है।

जी.

एच.

वैध है।स्वतंत्रता की अवधारणा में बदलाव आया है।21 वीं सदी में समाज पिछली सदी की तुलना में पूरी तरह से अलग दिखता है।हम समाज के सामाजिक-सांस्कृतिक लोकाचार में बदलाव देखते हैं।इस प्रकार, कानून की व्याख्या को समाज की बदलती जरूरतों के साथ तालमेल बिठाना चाहिए।

अनुच्छेद 25 और 26 के पाठ में नैतिकता

24. अनुच्छेद 25 के खंड (1) के तहत विवेक की स्वतंत्रता की गारंटी सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन है।अनुच्छेद 26 के सभी चार खंड (ए), (बी), (सी) और (डी) को भी विशेष रूप से सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन बनाया गया है।इस प्रकार, धार्मिक संप्रदाय का धर्म के मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने का अधिकार हमेशा नैतिकता के अधीन है।जहाँ तक अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा परिकल्पित नैतिकता की अवधारणा का संबंध है, सरदार सैयदना 1 के मामले में निर्णय के बाद बहुत अधिक पानी बह गया है।इसके अलावा, सरदार सैयदना 1 के मामले में, इस तर्क पर कि अनुच्छेद 26 (बी) नैतिकता के अधीन है, बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया था क्योंकि सुनवाई के समय इसका प्रचार और दबाव नहीं डाला गया था।नवतेज सिंह जौहर 5 के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि जब यह न्यायालय नैतिकता के मुद्दे से निपटता है, तो इसे संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा से निर्देशित किया जाना चाहिए, न कि सामाजिक नैतिकता से।इसके अलावा, नैतिकता की धारणा समय के साथ विकसित होती है और स्थिर नहीं होती है।इस सवाल पर विचार करने की आवश्यकता है कि क्या संवैधानिक नैतिकता को समानता, बंधुत्व और गैर-भेदभाव के साथ जोड़ा जा सकता है।

ग

डी.

ई.

25. सबरीमाला मंदिर 5 जेजे 6 के मामले में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा अनुच्छेद 25 और 26 द्वारा विचार की गई नैतिकता की अवधारणा पर अधिक विस्तार से विचार किया गया था।संविधान पीठ द्वारा चार अलग-अलग राय दी गई थी।दीपक मिश्रा, सी. जे., जिन्होंने अपने लिए राय लिखी और ए. एम. खानविलकर, जे. और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (तब वे थे) ने अपने अलग-अलग विचारों में संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत नैतिकता की अवधारणा की व्याख्या पर सहमति व्यक्त की। उन्होंने अनुच्छेद 26 के तहत अधिकारों और संविधान के भाग III के तहत अन्य अधिकारों के बीच परस्पर क्रिया के मुद्दे पर भी चर्चा की।दीपक मिश्रा, सी. जे. और डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. के अलग-अलग विचारों के निष्कर्षों को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता हैः(क) अनुच्छेद 25 और 26 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'नैतिकता' की स्थिति सार्वजनिक व्यवस्था और स्वास्थ्य के समान व्यापक है;

च

जी.

(ख) 'नैतिकता' शब्द को संकीर्ण चश्मे से नहीं देखा जा सकता है ताकि नैतिकता की परिभाषा को एक व्यक्ति ए तक सीमित रखा जा सके।

एच.

या एक धार्मिक संप्रदाय का अर्थ समझ में आ सकता है। नैतिकता स्वाभाविक रूप से संवैधानिक नैतिकता का तात्पर्य है और कोई भी दृष्टिकोण जो अंततः संवैधानिक न्यायालयों द्वारा लिया जाता है, वह संवैधानिक नैतिकता के मूल सिद्धांतों के अनुरूप होना चाहिए। अनुच्छेद 25 और 26 के प्रयोजनों के लिए 'नैतिकता' का अर्थ वह होना चाहिए जो मौलिक संवैधानिक सिद्धांतों द्वारा शासित हो।

(ग) अभिव्यक्ति 'के अधीन' प्रकृति में एक शर्त है और इसलिए, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य नियंत्रण अनुच्छेद 26;

(घ) अनुच्छेद 26 के प्रावधानों को अलग-थलग करने की अनुमति देने का कोई ठोस कारण नहीं है। भले ही अनुच्छेद 26 को विशेष रूप से अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं बनाया गया हो, फिर भी दोनों को एक साथ पढ़ने का आधार होगा ताकि वे सद्भाव में रह सकें। अनुच्छेद 26 में विशिष्ट शब्दों की अनुपस्थिति जो इसे अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन बनाती है, धार्मिक संप्रदाय की स्वतंत्रता को एक अलग जगह में मौजूद होने की अनुमति नहीं दे सकती है; और (ई) अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक संप्रदायों की स्वतंत्रता को इस तरह से पढ़ा जाना चाहिए जिसमें समानता और अन्य व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं के संरक्षण की आवश्यकता हो जो अप्रतिबंधित अभ्यास से प्रभावित हो सकते हैं।

ग

डी.

ई.

26. नरीमन, जे ने पैराग्राफ 176.7 में जोर देकर कहा कि 'नैतिकता' शब्द उस बात को संदर्भित करता है जिसे सभ्य समाज के लिए धृणित माना जाता है, उस समय की आदतों को देखते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ, शोषण और पतन के कारण होने वाले नुकसान के कारण।

27. सबरीमाला मंदिर-5 जे. जे. 6 में प्रस्तुत अपनी राय में, डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. (जैसा कि वे उस समय थे) ने संवैधानिक मूल्यों के साथ आवश्यक धार्मिक प्रथाओं के जुड़ाव पर चर्चा की है। उक्त मुद्दे पर विचार करते हुए, पैराग्राफ 289 में, उन्होंने इस प्रकार टिप्पणी की है:

च

“289. दशकों से, इस न्यायालय ने एक ऐसी प्रथा की अनिवार्यता पर आधारित दावों को देखा है जो गरिमा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक संरक्षण के खिलाफ है।

जी.

संविधान। यह सुनिश्चित करना अदालतों का कर्तव्य है कि जो संरक्षित है वह मौलिक संवैधानिक मूल्यों और गारंटी के अनुरूप है और संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप है। जबकि संविधान अपने संदर्भ में संवेदनशील है

एच.

312 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 1 एस. सी. आर.

धार्मिक स्वतंत्रता के साथ-साथ सांप्रदायिक अधिकारों का संरक्षण, यह समझना चाहिए कि गरिमा, स्वतंत्रता और समानता त्रिमूर्ति का गठन करती है जो लोगों की आस्था का समर्थन करती है।

संविधान। एक साथ, ये तीन मूल्य प्राथमिकताओं के संवैधानिक क्रम को परिभाषित करने के लिए संयुक्त हैं। ऐसी प्रथाएँ या विश्वास जो इन मूलभूत मूल्यों से अलग होते हैं, वे वैधता का दावा नहीं कर सकते।”

(जोर जोड़ा गया) 28।सवाल यह है कि क्या दाउदी बोहरा समुदाय में अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने की प्रथा संवैधानिक नैतिकता की कसौटी पर खरी उतरेगी?जैसा कि दास गुप्ता, जे. ने सरदार सैयदना 1 के मामले में कहा, समुदाय के किसी सदस्य का बहिष्कार उसके कई नागरिक अधिकारों को प्रभावित करता है।द प्रिवी

ग

परिषद, हसनाली और अन्य के मामले में।मंसूराली और ओआरएस। 12, में

पैराग्राफ 4 में दाउदी बोहरा समुदाय में पूर्व-संचार के प्रभाव पर चर्चा की गई है।पैराग्राफ 4 इस प्रकार है:

डी.

“4. अपीलार्थी सामाजिक बहिष्कार को पूरा करने के लिए बहिष्कार के प्रभाव को सीमित करेंगे, इसे अस्तित्व में लाने के लिए जो भी कदम उठाए गए होंगे।वे कहते हैं कि यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि यह संपत्ति या पूजा के अधिकारों से बाहर है।उनके अधिपति इस सीमा को स्वीकार करने में सक्षम नहीं होते हैं।दाई एक धार्मिक नेता होने के साथ-साथ समुदाय की संपत्ति के ट्रस्टी भी हैं और भारत में जाति से बहिष्कार सर्वविदित है।वहाँ है

ई.

कम से कम एक मामला जिसमें यह दर्ज किया गया है कि कुछ व्यक्तियों ने राजा को तैंतीसवें दाई के साथ मध्यस्थता करने के लिए आवेदन किया, शिकायत की कि बहिष्कार के परिणामस्वरूप उन्हें मस्जिदों और उन स्थानों से रखा गया था जहां सच्चे विश्वासी मिलते थे; और ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिया गया है जहां बहिष्कृत व्यक्तियों ने स्वतंत्र रूप से अपने धार्मिक अधिकारों का प्रयोग किया हो।वास्तव में, अपीलकर्ताओं या जिनके बारे में कहा जाता है कि वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके लिए किस राहत का दावा किया जाता है, इस संबंध में मामलों में शिकायत उनके लॉर्डशिप के ध्यान में लाई गई है कि उन्हें गलत तरीके से बहिष्कृत किया गया था, ऐसा नहीं है कि यदि सही तरीके से बहिष्कृत किया जाता है तो उन्हें गलत तरीके से अपने धर्म से वंचित कर दिया गया था।

च

जी.

अधिकार।बहिष्कार, उनके प्रभुओं के विचार में, यदि उचित है, तो आवश्यक रूप से न्यास के तहत स्थानों में धार्मिक अधिकारों के प्रयोग से बहिष्कार शामिल है

12 1947 एससीसी ऑनलाइन पीसी 63 ए

एच.

313

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

उस समुदाय का प्रमुख जिसमें धार्मिक अभ्यास किए जाते हैं।"

(जोर दिया गया) एक व्यक्ति जिसे समुदाय द्वारा बहिष्कृत किया गया है, वह समुदाय की सामान्य संपत्ति और समुदाय के दफन/दाह संस्कार स्थल का उपयोग करने का हकदार नहीं होगा।एक अर्थ में, ऐसा व्यक्ति समुदाय के भीतर वस्तुतः अछूत (निर्वासित या बहिष्कृत) हो जाएगा।किसी मामले में, इसके परिणामस्वरूप उसकी सिविल मृत्यु हो जाएगी।यह तर्क दिया जा सकता है कि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा जो अनुच्छेद 26 के खंड (बी) द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता को दरकिनार करती है, पूर्व-संप्रेषित व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों को छीनने की अनुमति नहीं देगी जो मनुष्य की गरिमा और स्वतंत्रता से उत्पन्न होते हैं।समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की अवधारणाएं निश्चित रूप से हमारी संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा हैं।हमारे संविधान में निहित बुनियादी विचार संवैधानिक नैतिकता का हिस्सा हैं।हमारे संविधान की अंतरात्मा संवैधानिक नैतिकता है।इसलिए, यह तर्क दिया जाता है कि बहिष्कार या बहिष्कार स्वतंत्रता और समानता की अवधारणाओं के लिए अभिशाप है।यह भेदभाव विरोधी लोकाचार के खिलाफ है जो संवैधानिक नैतिकता का एक हिस्सा है।इसलिए, संवैधानिक न्यायालय को ऐसी किसी भी चीज को

बर्दाश्त नहीं करना चाहिए जो किसी भी व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के अधिकार और विशेषाधिकार को छीन ले क्योंकि संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा न्यायालय को ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। इसलिए, हमारे विचार में, सरदार सैयदना 1 के मामले में निर्णय द्वारा दाउदी बोहरा समुदाय के किसी सदस्य को बहिष्कृत करने की शक्ति को दिए गए अनुच्छेद 26 (बी) के तहत संरक्षण पर पुनर्विचार की आवश्यकता है क्योंकि उक्त अधिकार नैतिकता के अधीन है जिसे संवैधानिक नैतिकता के रूप में समझा जाता है। इस मुद्दे की एक बड़ी पीठ द्वारा जांच की आवश्यकता होगी।

ग

डी.

ई.

च

29. डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. और श्री आर. एफ. नरीमन, जे. द्वारा दी गई सहमति वाली राय व्यापक रूप से सरदार सैयदना 1 के मामले का उल्लेख करती है। अनुच्छेद 164 में, न्यायमूर्ति नरीमन ने अभिलिखित किया है कि भविष्य के कुछ मामलों में अनुच्छेद 25 के खंड (2) (बी) की प्रयोज्यता पर सरदार सैयदना 1 के मामले में बहुमत के दृष्टिकोण से अभिलिखित निष्कर्ष पर गौर करने की आवश्यकता है।

जी.

भाग III और अनुच्छेद 26 के तहत अन्य मूलभूत अधिकारों के बीच अंतर-भुगतान

30. हम पहले ही डी. वाई. चंद्रचूड़ की राय का उल्लेख कर चुके हैं,

जे. (उस समय वे थे) सबरीमाला मंदिर में-5 जे. जे. 6. यह माना गया कि

एच.

314

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

यद्यपि अनुच्छेद 26 विशेष रूप से अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन नहीं बनाया गया है, फिर भी दोनों को एक साथ पढ़ने का आधार होगा ताकि वे सद्भाव में रह सकें। धार्मिक संप्रदायों की स्वतंत्रता अलग-थलग नहीं रह सकती है। नरीमन, जे. ने भी अपनी राय में इस मुद्दे को उठाया है। अनुच्छेद 176.7 के साथ संलग्न नोट 59 में उन्होंने कहा कि:

“ (59). विद्वान न्यायमित्र, श्री राजू रामचंद्रन ने हमें "नैतिकता" शब्द को "संवैधानिक नैतिकता" के रूप में पढ़ने के लिए आमंत्रित किया था, जैसा कि हमारे हाल के कुछ निर्णयों में समझाया गया है। यदि ऐसा पढ़ा जाए, तो यह नहीं भुलाया जा सकता है कि यह पिछले दरवाजे से संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों को लाएगा, जो अनुच्छेद 25 (1) के विपरीत अनुच्छेद 26 के अधीन नहीं है।

ग

किसी भी मामले में, अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार को इन अधिकारों के सामंजस्यपूर्ण निर्माण के मामले में भाग III में निहित अन्य अधिकारों के साथ संतुलित करना होगा।

जैसा कि श्री वेंकटरमण देवरू, ए. आई. आर 1958 एस. सी. में आयोजित किया गया था

डी.

255 :1958 एससीआर 895।लेकिन यह केवल मामले-दर-मामले के आधार पर होगा, आवश्यक रूप से अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकार को भाग III में निहित अन्य मौलिक अधिकारों के अधीन किए बिना।

(इस प्रकार, न्यायमूर्ति नरीमन का विचार था कि भाग III में निहित अन्य मौलिक अधिकारों के लिए अनुच्छेद 26 के तहत मौलिक अधिकारों को अनिवार्य रूप से अधीन किए बिना संविधान के भाग III के तहत अन्य मौलिक अधिकारों के साथ अनुच्छेद 26 (बी) के तहत अधिकारों को संतुलित करने की आवश्यकता हो सकती है। 31.यह मानते हुए भी कि दाउदी बोहरा समुदाय के सदस्यों का बहिष्कार हमेशा धार्मिक आधार पर किया जाता है, बहिष्कृत व्यक्ति पर इसके प्रभाव और परिणामों पर न्यायसंगत संवैधानिक अधिकारों के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है।इस बहिष्कार के कई नागरिक परिणाम होंगे जो प्रथम दृष्टया गरिमा के साथ जीने के उनके मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 21 द्वारा गारंटीकृत सार्थक जीवन जीने के अधिकार को प्रभावित करेंगे।इसलिए, सवाल यह है कि क्या समुदाय के अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने के उक्त अधिकार को संविधान के भाग III और विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत अन्य मौलिक अधिकारों के साथ संतुलित किया जा सकता है।

ई.

च

जी.

एच.

315

देवौदी बोहरा समुदाय का केंद्रीय बोर्ड बनाम महाराष्ट्र राज्य [अभय एस. ओका, जे.] ए.

क.

निष्कर्ष

32. निष्कर्ष निकालने के लिए, प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि अनुच्छेद 26 (बी) के तहत अधिकारों को भाग III और विशेष रूप से अनुच्छेद 21 के तहत अन्य अधिकारों के साथ संतुलित करने का प्रयोग सरदार सैयदना 1 के मामले में संविधान पीठ द्वारा नहीं किया गया था।यह प्रश्न काफी हद तक पहले से ही विचाराधीन है।

सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जे. जे. में नौ न्यायाधीशों की पीठ। इसके अलावा,

यह प्रश्न कि क्या अनुच्छेद 26 (ख) द्वारा बहिष्कार के अभ्यास को संरक्षण दिया जा सकता है, संवैधानिक नैतिकता की अवधारणा की कसौटी पर परखा जाना है क्योंकि उक्त अधिकार नैतिकता के अधीन है।यह एक महत्वपूर्ण और उभरता हुआ मुद्दा है।ये दो मुख्य आधार हैं जिन पर उक्त निर्णय पर एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार की आवश्यकता हो सकती है।33. सबरीमाला मंदिर-5 जेजे 6 के निर्णय की समीक्षा की गई।

ग

इस न्यायालय ने समीक्षा (सबरीमाला मंदिर समीक्षा-5 जेजे) पर विचार किया। 7)।

बहुमत की राय में प्रश्न होते हैं जो इसे एक बड़ी पीठ को भेजने के लिए तैयार किए जाते हैं।प्रश्न संख्या 5.1 से 5.3 तक प्रासंगिक हैं जो इस प्रकार हैं:“ 5.1.(i) संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता और भाग III के अन्य प्रावधानों, विशेष रूप से अनुच्छेद 14 के बीच परस्पर क्रिया के संबंध में।

डी.

5.2.(ii) संविधान के अनुच्छेद 25 (1) में आने वाली अभिव्यक्ति "सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य" का विस्तार क्या है।

ई.

5.3.(iii) संविधान में "नैतिकता" या "संवैधानिक नैतिकता" अभिव्यक्ति को परिभाषित नहीं किया गया है। क्या यह प्रस्तावना के संदर्भ में नैतिकता पर हावी है या धार्मिक मान्यताओं या विश्वास तक सीमित है। उस अभिव्यक्ति की रूपरेखा को चित्रित करने की आवश्यकता है, ऐसा न हो कि यह व्यक्तिपरक हो जाए।"

च

तदनुसार, समीक्षा याचिका को नौ-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। 10 फरवरी 2020 के आदेश के अनुसार नौ न्यायाधीशों की पीठ ने

(सबरीमाला मंदिर समीक्षा-9 जेजे। 8) कानून के सात प्रश्न बनाए गए,

जी.

जिन प्रश्नों में से 3 और 4 हमारे उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक हैं, वे इस प्रकार हैं: "3. क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद 26 के तहत किसी धार्मिक संप्रदाय के अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अलावा भारत के संविधान के भाग III के अन्य प्रावधानों के अधीन हैं?

एच.

316

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 1 एस सी आर।

4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत 'नैतिकता' शब्द का दायरा और विस्तार क्या है और क्या इसका उद्देश्य संवैधानिक नैतिकता को शामिल करना है?"

34. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तैयार किए गए प्रश्न 3 और 4 भी वर्तमान रिट याचिका में विचार के लिए उठते हैं। नौ-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए जाने वाले निर्णय का इस रिट याचिका में निर्धारण के लिए उत्पन्न होने वाले प्रश्नों पर सीधा प्रभाव पड़ेगा।

35. इन परिस्थितियों में, हमारा विचार है कि वर्तमान रिट याचिका को नौ माननीय न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष लंबित 2018 की समीक्षा याचिका (सिविल) No.3358 के साथ जोड़ा जाना चाहिए। हम तदनुसार रजिस्ट्री को माननीय मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में उचित निर्देश लेने का निर्देश देते हैं।

ग

बिभूति भूषण बोस

निर्देश जारी किए गए।

डी.

(सहायक: सानिका ठाकरे, एलसीआरए)

ई.

च

जी.

